मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

RMSC

।।सर्वे सन्तु निरामयाः।।
(Government of Rajasthan undertaking)

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर 302005

फोन न: 0141–2228066, फैक्स न: 0141–2228065 ई–मेल : rmsc@nic.in

CIN:U24232RJ2011SGC035067 Website: www.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2019-20/593 दिनांक : 12.07.2019

कार्यालय आदेश

M/S Rhydburg Pharmaceuticals Ltd., C2 &3, S.I.E.L.(Sara Industrial Estate Limited) Selaqui, Dehradun, Uttarakhand -248197 की निविदा क्रमांक F.02(229)/ RMSCL/PROCUREMENT/ DRUG/NIB-09/2017/898 दिनांक 31.07.2017 के तहत औषधि **Clopidogrel And Aspirin Tablets** (Clopidogrel 75 Mg And Aspirin 75 Mg) [549] की दरों के न्यूनतम होने के कारण अनुमोदित कर दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक 219,2779,770,1978 दिनांक 13.04.2018, 23.01.2018,28.05.2018, 20.09.2018 जारी किये गये थे।

उक्त क्रय आदेश की पालना में सप्लाई की गयी औषधि को आरएमएससी की पंजीकृत प्रयोगशाला द्वारा टेस्ट कराये जाने पर औषधि के 04 बैच (T8030043, T8030045, T8050118, T8050120) को मानक कोटि का घोषित किया गया। बैच संख्या T8030043 की निगम के ड्रग वेयर हाउस अजमेर, मेडिकल कॉलेज ड्रग वेयर हाउस बीकानेर, अजमेर, बैच संख्या T8030045 की निगम के मेडिकल कॉलेज ड्रग वेयर हाउस बीकानेर, बैच संख्या T8050118 की निगम के मेडिकल कॉलेज ड्रग वेयर हाउस अजमेर, ड्रग वेयर हाउस भरतपुर, करौली, बीकानेर, चूरू, धौलपुर तथा बैच संख्या T8050120 निगम के ड्रग वेयर हाउस कोटा,भरतपुर, करौली से शिकायत प्राप्त हुई कि औषधि की स्ट्रिप से गोली निकालने पर टूट रही है तथा नमी के कारण फूली हुई है। शिकायत प्राप्त होने के उपरांत उक्त बैचों को होल्ड पर कर दिया गया। इस बाबत् सप्लायर फर्म को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण पूछा गया, जिसका फर्म द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

आरएमएससी की गुणवत्ता नीति के अनुसार पुनः जाँच हेतु औषधि के बैचों का वैधानिक नमूना औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा लिया जाकर नमूनों को राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर में भिजवाया गया जिसमें औषधि के उक्त बैचों को The Sample does not conform to the claim with respect to Description में अवमानक कोटि का घोषित किया गया।

इस संबंध मे निर्माता फर्म को नोटिस दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा गया। दिनांक 28/06/2019 को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक आयोजित की गई तथा फर्म को सुनवाई के लिये अवसर दिया गया जिसमें फर्म की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। फर्म द्वारा अवमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों के तहत Not of Standard Quality के साथ–साथ Minor defects की श्रेणी में परिभाषित हैं।

निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण डिबारिंग–दिशा निर्देशो के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28/08/2018 के क्लॉज 4.5(2)के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की अनुशंषा के आधार पर निर्माता फर्म M/S Rhydburg Pharmaceuticals Ltd., C2 &3, S.I.E.L.(Sara Industrial Estate Limited) Selaqui, Dehradun, Uttarakhand -248197 की औषधि **Clopidogrel And Aspirin Tablets** (Clopidogrel 75 Mg And

Aspirin 75 Mg) [549] को यह आदेश जारी करने की तिथि से 03 (तीन) वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट (Blacklist) किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेन्टशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

(सुरेश चन्द गुप्ता)
प्रबन्ध निदेशक
आर.एम.एस.सी.

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2019-20/593 दिनांक : 12.07.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर ,राजस्थान ।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, देहरादून,उत्तराखंड।
4. मिशन निदेशक,एन.एच.एम. जयपुर ,राजस्थान।
5. निदेशक,पी.एच/आर.सी.एच./एच.ए/ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू/आई.ई.सी, चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
6. औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
7. औषधि नियंत्रक, राजस्थान/ औषधि नियंत्रक, देहरादून, उत्तराखंड।
8. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
9. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
10. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एवं ए.जी.एम.(आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान।
12. समस्त चिकित्सा सेवा निगम, गुजरात/केरल/तमिलनाडु/बिहार/छत्तीसगढ़/पश्चिम बंगाल/कर्नाटक/हरियाणा/मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र/जम्मू कश्मीर।
13. M/S Rhydburg Pharmaceuticals Ltd., C2 &3, S.I.E.L.(Sara Industrial Estate Limited) Selaqui,Dehradun, Uttarakhand -248197
14. आदेश पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक (क्यू.सी.)